

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प राशमी

आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राशमी  
व भूअ.नि. राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी /नायब  
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राशमी तहसील राशमी व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2020 में खाता संख्या 148 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	राशमी	148	केशव पुत्र शंकर सिंह	केशव सिंह पुत्र शंकर सिंह

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी

क्रमांक-244  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 25/10/2021

1. तहसीलदार राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
राशमी

